राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

rajssaquality@gmail.com Ph-2701596

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/क्यूएमटी/2017–18 15149 दिनांक : 21/3/18

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समस्त जिले।

विषय – क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स अन्तर्गत प्रथम एसएमएफ की सूचना ऑनलाइन करवाये जाने के संबंध में।

क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स अन्तर्गत वर्ष में दो बार गुणवत्ता के विभिन्न आयामों के संदर्भ में राज्य स्तर से तैयार स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र विद्यालय स्तर से भर कर ऑनलाइन कराया जाना है। सत्र 2017–18 का प्रथम एसएमएफ की फीडिंग दिनांक 21.03.2018 से 06.04.2018 तक सम्पन्न होनी है। **अतः आप संस्था प्रधानों को आदेशित करावें कि स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र की सूचना विद्यालय से हार्ड कॉपी में तैयार कर दिनांक 06.04.2018 से पूर्व वैब पोर्टल पर ऑनलाइन कराया जाना सुनिश्चित करावें।**

क्यूएमटी प्रपत्र एवं दिशा–निर्देश परिषद् स्तर से जिला स्तर को एवं जिला स्तर से ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर तक उपलब्ध करवा दिये गये है। प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार क्यूएमटी प्रपत्र की ऑनलाइन फीडिंग किया जाना सुनिश्चित करें। **प्रपत्र की एक प्रति स्वयं के विद्यालय एवं एक प्रति पीईईओ एवं बीईईओ के संस्थान में संधारित की जावेगी। इस कार्य की जिला स्तर से प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु एपीसी गुणवत्ता को पाबन्द करें जिससे निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न हो सके।**

संलग्न – QMT भरने सम्बन्धी दिशा–निर्देश प्रपत्र

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/क्यूएमटी/2016–17 15150 दिनांक : 21/3/18
प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. श्री अनिमेष पंत, वैज्ञानिक एनआईसी, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि दिनांक 21.03.2018 से क्यूएमटी प्रपत्र की फीडिंग का कार्य विद्यालय लॉगिन से करवाये जाने हेतु समस्त व्यवस्थाऐं सम्पादित करावें।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले को भेजकर लेख है, कि उपरोक्तानुसार कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति भिजवायें।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त ब्लॉक को भेजकर लेख है, कि समस्त संस्था प्रधान (राप्रावि/राउप्रावि) को उपरोक्तानुसार कार्य करवाये जाने हेतु आदेशित करावें।
6. समस्त पीईईओ पंचायत परिक्षेत्र के विद्यालयों की मॉनीटरिंग कर नियत समय में फीडिंग कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

(ममता यादव)
उपायुक्त (गुणवत्ता)